रेनू बाला बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (प्रमोद कोहली, न्यायमूर्ति)

प्रमोद कोहली न्यायमूर्ति

रेनू बाला-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य-प्रतिवादी

2008 का सीडब्ल्यूपी नंबर 8291

9 अगस्त 2010

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-हरियाणा मृतक के आश्रितों को अनुकंपा सहायता नियम, 2003-नियम 3(के) और 18-जेबीटी शिक्षक के रूप में कार्यरत याचिकाकर्ता के माता-पिता दोनों की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई-याचिकाकर्ता उस समय केवल 12 वर्ष का था-अनुग्रह भुगतान और वयस्क होने पर अनुकंपा नियुक्ति का दावा-नियम 18 में प्रावधान है कि एक अनाथ की नियुक्ति का दावा तब तक जीवित रहेगा जब तक कि एक बच्चा सेवा में प्रवेश के लिए वयस्क नहीं हो जाता है-याचिकाकर्ता आरएल 18 के तहत परिभाषित अभिव्यक्ति 'अनाथ' की परिभाषा के अंतर्गत आता है। याचिका स्वीकार की गई, उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ता को अनुग्रह राशि जारी करने और नियम 18 शर्तों के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति के दावे पर विचार करने का निर्देश दिया गया।

माना गया कि नियम 18 को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार का इरादा अनुग्रहपूर्वक नियुक्ति देने के लिए एक विशेष श्रेणी बनाने का है यानी एक अनाथ बच्चा जिसका दावा तब तक बरकरार रहेगा जब तक वह सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए वयस्कता प्राप्त नहीं कर लेता। यह विशेष रूप से प्रदान किया गया है कि ऐसे अनाथ की नियुक्ति का दावा तब तक जीवित रहेगा जब तक कि वह बच्चा सरकार में प्रवेश के लिए वयस्क नहीं हो जाता। सेवा। निःसंदेह, यह सरकारी नीति/नियम मृत कर्मचारियों की मृत्यु की तारीख के काफी बाद अस्तित्व में आये। नियम 18 स्वयं अनुग्रह नियुक्ति/वित्तीय सहायता के सामान्य नियमों के अपवाद के रूप में बनाया गया है। रखना नियमों की भावना, उद्देश्य और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता के दावे पर हरियाणा मृतक के आश्रितों को अनुकंपा सहायता नियम के नियम 18 के संदर्भ में विचार किया जाना आवश्यक है। याचिकाकर्ता नियम 18 के तहत परिभाषित अभिव्यक्ति 'अनाथ' की परिभाषा के अंतर्गत आता है।

(पैरा 11 एवं 12)

आर.एन. शर्मा।याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

आर.एस. कुंडू, अतिरिक्त. ए.जी.; हरियाणा

प्रमोद कोहली, न्यायमूर्ति (मौखिक):

(1) यह एक दुर्भाग्यपूर्ण मामला है, जहां याचिकाकर्ता, महिला बच्चे की मृत्यु हो गई जब वह केवल 12 वर्ष की थी तब उसके माता-पिता याचिकाकर्ता के पिता स्वर्गीय श्री अशोक कुमार और उनकी माता स्वर्गीय श्रीमती। कांता देवी दोनों जे.बी.टी. के पद पर कार्यरत थीं। हरियाणा शिक्षा विभाग में अध्यापक, 25 सितंबर 1988 को बस में यात्रा करते समय दुर्घटना में दोनों की मृत्यु हो गई। याचिकाकर्ता की जन्मतिथि 9 अप्रैल, 1986 है, इस प्रकार, अपने माता-पिता की मृत्यु के समय वह 12 वर्ष की थी। निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, हरियाणा के कार्यालय ने दिनांक 23 मई, 1989 के आदेश द्वारा रु. याचिकाकर्ता के पक्ष में अनुग्रह अनुदान के रूप में 15,220 रुपये। हालाँकि, संबंधित समय पर याचिकाकर्ता के नाबालिग होने के कारण राशि का वितरण नहीं किया जा सका। अपने माता-पिता की मृत्यु के बाद याचिकाकर्ता का पालन-पोषण उसके दादा ने किया। याचिकाकर्ता ने बी.ए. उत्तीर्ण किया। 21 जून, 2007 को पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला से। वह 9 अप्रैल, 2004 को बालिग हो गई। ऐसा कहा गया है कि न तो अनुग्रह राशि और न ही जी.पी.एफ. उसके दिवंगत माता-पिता की संपत्ति याचिकाकर्ता या उसके दादा को भी दे दी गई है, जो उसके माता-पिता की मृत्यु के बाद अभिभावक थे। याचिकाकर्ता ने जी.पी.एफ जारी करने के लिए 15 जुलाई, 2004 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। राशि, जिसके बाद 20 अगस्त, 2006 को एक और अनुरोध आया (अनुलग्नक पी-6)। याचिकाकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 12 सितंबर, 2007 के माध्यम से एक अनाथ होने के कारण अनुकंपा नियुक्ति के लिए भी आवेदन किया था। यह भी कहा गया है कि अनुग्रह राशि को सरकार के आदेश दिनांक 26 अप्रैल, 1998 द्वारा 10 महीने की परिलब्धियों के बराबर बढ़ा दिया गया है, जिसमें न्यूनतम 10,000 और अधिकतम रु. 25,000. चूंकि याचिकाकर्ता को अनुग्रह राशि और जी.पी.एफ. का भुगतान नहीं किया गया था। की राशि उसके माता-पिता और न ही उसे अनुकंपा नियुक्ति दी गई, यह याचिका दायर की गई है अनुकंपा नियुक्ति के लिए निर्देश देने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई है अनाथ और जी.पी.एफ. की रिहाई और उसके अस्तित्व के लिए देय अनुग्रह राशि मृत सरकारी कर्मचारियों का एकमात्र जीवित कानूनी प्रतिनिधि 18% की दर से ब्याज सहित।

(2) नोटिस में रखे जाने पर, राज्य-प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता के माता-पिता की मृत्यु और उसकी उम्र आदि से संबंधित रिट याचिका में कथित तथ्यों को स्वीकार किया। हालांकि, यह कहा गया है कि रुपये की अनुग्रह राशि। 25 मई, 1989 को स्वीकृत 15,220 रुपये का भुगतान याचिकाकर्ता को नहीं किया जा सका क्योंकि वह उस समय नाबालिग थी और यह राशि सावधि जमा में रखी गई थी। याचिकाकर्ता के पक्ष में सावधि जमा

रसीद संख्या 0077 जारी की गई है। यह कहा गया है कि परिपक्वता पर वह 69,470.50.रुपये की राशि की हकदार होगी। यह भी कहा गया है कि जी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान। रुपये की राशि याचिकाकर्ता को 16 अप्रैल, 2009 को 13,123 रुपये प्राप्त हुए हैं। अनुकंपा नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के दावे के संबंध में, यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता अपने माता-पिता की मृत्यु के समय नाबालिग थी और पद पर बने रहने का कोई प्रावधान नहीं है। राज्य सरकार की अनुग्रह नीति दिनांक 31 अक्टूबर 1985 के अंतर्गत अवयस्क के लिए आरक्षित, जो उसके माता-पिता की मृत्यु के समय लागू था।

(3) 5 नवंबर, 2009 के आदेश के तहत इस न्यायालय ने उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ता के अन्य दावों, विशेष रूप से पारिवारिक पेंशन और अन्य पेंशन लाभों के उसके अधिकार और यह भी कि क्या उसे अनुकंपा नियुक्ति की पेशकश की जा सकती है, के संबंध में एक व्यापक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। यह भी देखा गया है कि जी.पी.एफ. रुपये की राशि मात्र 12,137 रुपये का ब्याज। मार्च, 1989 तक 986 रुपये का भुगतान किया गया है। 7 जनवरी, 2010 के एक अन्य आदेश द्वारा उत्तरदाताओं को जी.पी.एफ. पर ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। और राशि जारी होने की तारीख तक ग्रेच्युटी।

(4) माना कि केवल जी.पी.एफ. ब्याज सहित राशि जारी कर दी गई है मार्च, 1989 तक जी.पी.एफ. तक राशि उत्तरदाताओं के पास ही रही संवितरण. उस पर ब्याज अवश्य मिला होगा। इससे आगे कोई दिलचस्पी नहीं याचिकाकर्ता को मार्च 1989 का भुगतान कर दिया गया है। आदेश दिनांक के अनुसार 7 जनवरी, 2007 के बाद उत्तरदाता कोई ब्याज देने में विफल रहे मार्च, 1989। उत्तरदाताओं ने इसकी प्रति भी रिकार्ड में रखी है रसीद दिनांक 22 दिसंबर, 2009, जिससे रु. 10,000 याचिकाकर्ता को अनुग्रह राशि के रूप में भुगतान किया गया था। सरकार के अधीन दिनांक 26 अप्रैल 1998 के निर्देशानुसार अनुग्रह राशि को समान रूप से संशोधित किया गया के कानूनी प्रतिनिधि को स्वीकार्य 10 माह की परिलब्धियां मृत सरकारी कर्मचारियों को न्यूनतम रु. 10,000 और ए अधिकतम रु. 25,000. दरअसल, यह राशि खाते में तय की गई है एक सरकार की मौत का. कर्मचारी। याचिकाकर्ता ने अपने माता-पिता और दोनों को खो दिया वे सरकार में थे. उनकी मृत्यु के समय सेवा। इस प्रकार, याचिकाकर्ता सरकार के तहत दोगुनी अनुग्रह राशि का हकदार है। निर्देश। उसे केवल रुपये का भुगतान किया गया है। 10,000. यह भी खुलासा नहीं किया गया है कि यह रकम रु. 10,000 मृत सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली 10 महीने की परिलब्धियों के बराबर है।

(5) याचिकाकर्ता अनुकंपा नियुक्ति नियम, 2003 का उपयोग करके अनुकंपा नियुक्ति का दावा कर रहा है, जिसके तहत अनाथ बच्चे के मामले में विशेष छूट दी गई है। नियम 18 इस प्रकार है:-

"छूट 18. इन नियमों के किसी भी प्रावधान में कोई छूट नहीं होगी। हालाँकि, एक विशेष मामले के रूप में, इन नियमों में केवल उन बच्चों के मामलों में छूट दी जाएगी जो सरकारी कर्मचारी के निधन पर अनाथ हो गए हैं। ऐसे अनाथ बच्चों की नियुक्ति का दावा तब तक जीवित रहेगा जब तक कि एक बच्चा वयस्क/सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्य आयु प्राप्त न कर ले।''

(6) आम तौर पर याचिकाकर्ता के दावे पर केवल सरकारी नीति यानी अनुग्रह निर्देशों के तहत ही विचार किया जा सकता है जो उसके माता-पिता की मृत्यु के समय लागू थे। प्रासंगिक समय पर याचिकाकर्ता के नाबालिग होने के कारण उसे अनुग्रहपूर्वक नियुक्ति नहीं दी जा सकती थी।

(7) यह स्थापित कानून है कि अनुग्रह नियुक्ति भर्ती का एक स्वतंत्र स्रोत नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में स्पष्ट रूप से कहा है कि अनुग्रह नियुक्ति का उद्देश्य और उद्देश्य गरीबी में परिवार को तत्काल राहत प्रदान करना है और इसे भर्ती का एक अलग स्रोत बनाने के लिए विस्तारित नहीं किया जा सकता है। यह भी माना गया है कि अनुग्रह नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के आदेश का अपवाद है। इस संबंध में, उमेश कुमार नागपाल बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य[1] (1), का संदर्भ लिया जा सकता है। जिसमें निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गई हैं:-

“हालांकि, अब यह कानून का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति भर्ती का स्रोत नहीं है। राज्य या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा ऐसी परोपकारी योजना बनाने का कारण यह देखना है कि मृतक के आश्रित आजीविका के साधन से वंचित न हों। यह केवल मृतक के परिवार को अचानक आए वित्तीय संकट से उबरने में सक्षम बनाता है।"

(8) महाप्रबंधक (डी एंड पीबी) और अन्य के मामले में। बनाम कुंती तिवारी और अन्य।[2] (2), माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार व्यवस्था दी है:-

“सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्तियाँ आवेदनों के खुले आमंत्रण और योग्यता के आधार पर ही की जाती हैं। हालाँकि, काम के दौरान मरने वाले और अपने परिवार को गरीबी में और आजीविका के किसी भी साधन के बिना छोड़ने वाले कर्मचारियों के आश्रितों के पक्ष में अपवाद बनाए गए हैं।"

(9) जम्मू-कश्मीर राज्य और अन्य बनाम सज्जाद अहमद मीर[3] (3) , के मामले मेंमाननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मामले में देरी के सवाल पर विचार किया और निम्नानुसार कहा: -

"16. इसके अलावा, लगभग 12 वर्ष बीत चुके हैं। अपीलकर्ता का बेटा लगभग 20 वर्ष का है और बेटी लगभग 16 वर्ष की है। इसलिए, वे बालिग हो गए हैं। अपीलकर्ता स्वयं अब लगभग 38 वर्ष की होगी। उसे कोई नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। इस उम्र में।"

(10) हालाँकि, वर्तमान मामला एक असाधारण मामला प्रतीत होता है, जहाँ याचिकाकर्ता ने अपने माता-पिता दोनों को खो दिया है। हरियाणा राज्य ने अपने विवेक से 2003 के नियमों के तहत अनाथ बच्चों को

---

[1] 1994(3) एस.सी.टी. 174
[2] (2004) 7 एस.सी.सी. 271
[3] 2006(3) एस.सी.टी. 598

अनुकंपा नियुक्ति देने की नीति शुरू की। ये नियम 28 फरवरी, 2003 को लागू हुए। 'अनाथ' शब्द को नियम 3(के) के तहत परिभाषित किया गया है, जिसे यहां पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

'(के) "अनाथ" का अर्थ वह बच्चा है जिसने पहले एक माता-पिता को खो दिया है और सरकार के निधन पर अनाथ हो गया है। कर्मचारी।"

(11) हालाँकि, नियम 18, अनुग्रहपूर्वक नियुक्ति देने की सामान्य और सामान्य नीति का अपवाद है। नियम को पढ़ने से पता चलता है कि सरकार की मंशा क्या है. के लिए एक विशेष श्रेणी बनाना है अनुग्रह नियुक्ति का अनुदान अर्थात एक अनाथ बच्चा जिसका दावा सरकार में प्रवेश के लिए वयस्क होने तक बरकरार रहता है। सेवा। यह विशेष रूप से प्रदान किया गया है कि ऐसे अनाथ की नियुक्ति का दावा तब तक जीवित रहेगा जब तक कि वह बच्चा सरकार में प्रवेश के लिए वयस्क नहीं हो जाता। सेवा। इसमें कोई संदेह नहीं, यह सरकार. नीति/नियम मृत कर्मचारियों की मृत्यु की तारीख के बहुत बाद अस्तित्व में आये। नियम 18 स्वयं अनुग्रह नियुक्ति/वित्तीय सहायता के सामान्य नियमों के अपवाद के रूप में बनाया गया है।

(12) नियमों की भावना, उद्देश्य और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, मेरी सुविचारित राय है कि याचिकाकर्ता के दावे पर हरियाणा मृतक के आश्रितों को अनुकंपा सहायता के नियम 18 के संदर्भ में विचार किया जाना आवश्यक है। याचिकाकर्ता नियम के तहत परिभाषित अभिव्यक्ति 'अनाथ' की परिभाषा के अंतर्गत आता है।

(13) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह याचिका स्वीकार की जाती है। उत्तरदाताओं को निम्नलिखित तरीके से निर्देशित किया जाता है:-

1. याचिकाकर्ता के माता-पिता, दोनों सरकारी हैं, की मृत्यु के कारण अतिरिक्त अनुग्रह राशि जारी करने के लिए। कर्मचारी।

2. पहले से भुगतान की गई अनुग्रह राशि और याचिकाकर्ता को भुगतान की जाने वाली राशि की मृतक सरकार की 10 महीने की परिलब्धियों के बराबर पुनर्गणना की जाएगी। कर्मचारियों की मृत्यु के समय और यदि, ऐसी गणना पर अनुग्रह राशि रुपये से अधिक है। सरकार में से किसी एक की मृत्यु के कारण शेष राशि 10,000 रु. कर्मचारी और अन्य सरकार की मृत्यु के कारण कुल अनुग्रह राशि। याचिकाकर्ता को दो माह के भीतर कर्मचारी का भुगतान किया जाए।

3. अनाथ के रूप में अनुकंपा नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के दावे पर इस निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर विचार किया जाएगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

तुषार शर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी , कैथल, हरियाणा